न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010007022026

Criminal Misc. Cases/37/2026

श्रीमती कुशलावती बनाम रवि पटेल आदि

16.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी श्रीमती कुशलावती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थिनी का कथन है कि प्रार्थिनी कुशलावती पत्नी प्रदीप कुमार निवासिनी हुसैनपुर सुधाना (गजियापुर), थाना–अलीगंज, जनपद–अम्बेडकर नगर की स्थायी निवासिनी है, तथा अनुसूचित जाति (चमार) व अल्पशिक्षित महिला है, प्रार्थिनी दो बच्चो की माँ है। प्रार्थिनी के गांव का विपक्षी सं0–1 रवि पटेल पुत्र आज्ञाराम जो कि काफी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। प्रार्थिनी का मोबाइल नम्बर किसी से लेकर बार–बार फोन करके शादी का दबाव बनाता है और कहता कि अपने पति को छोडकर मुझसे शादी कर लो, प्रार्थिनी ने बार–बार मना किया और कहा कि घर वालों से तुम्हारी शिकायत कर देगें। इसके बाद घर से लगभग 200 मीटर दूर बाग में मुझसे मिला, और प्रार्थिनी को धमकी दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करती हो, तो तुम्हारे बच्चों एवं तुम्हारे पति को जान से मार देगें उसके बाद विपक्षी सं०–1 प्रार्थिनी को एकान्त एवं अकेला पाकर जबरदस्ती करने लगा तथा प्रार्थिनी को जमींन पर पटक दिया और प्रार्थिनी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और उसकी वीडियो बनाया और उसी वीडियों को दिखाया और कहा कि अगर किसी से इस बात की शिकायत की तो यह वीडियो तुम्हारे घर वालो को भेज देगें एवं वायरल कर देगें। इसी वीडियो के आड़ में वह प्रार्थिनी के साथ बार–बार धमकी देकर प्रार्थिनी की मर्जी के खिलाफ बार–बार बलात्कार करता रहा। प्रार्थिनी ने दिनांक–21.01.2026 को उसकी शिकायत अपने पति एवं जेठ से किया, तो प्रार्थिनी के पति व परिवार वाले प्रार्थिनी को लेकर विपक्षीगण के घर गये और शिकायत किये कि विपक्षी सं0–1 मेरी पत्नी के साथ बार–बार गलत काम करता रहा है। उसको समझा लो, विपक्षी सं0–1 के घर वाले अन्य विपक्षीगण 2 ता 5 क्रमशः हृदयराम वर्मा पुत्र राम किशोर, आज्ञाराम वर्मा पुत्र डंगर, प्रीति वर्मा पुत्री आज्ञाराम, मीना वर्मा पत्नी आज्ञाराम वर्मा आदि लोगों ने प्रार्थिनी व उसके पति को जाति सूचक शब्द चमार साले मादरचोद का प्रयोग करते हुए भद्दी–भद्दी गाली देने लगे व लात घूसो डंडे से मारपीट कर और कहे कि चमार साले मादरचोद यहां से भाग जाओ नहीं तो तुमको और तुम्हारे परिवार वालो को जान से मार देगें। प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के गुहार लगाने पर गांव वालो इक्ट्ठा हो गये और विपक्षी सं0–1 के परिवार वालों को समझाये बुझाये, जिससे प्रार्थिनी एवं परिवार की जान बची। विपक्षीगण के इस कृत्य से प्रार्थिनी एवं उसका परिवार काफी डरा हुआ है। विपक्षीगण कभी भी प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति के प्रति कभी भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है। प्रार्थिनी द्वारा

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.16 16:52:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस बाबत स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु स्थानीय थाने द्वारा कोई कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थिनी ने उपरोक्त घटना के बाबत पुलिस अधीक्षक महोदय, अम्बेडकर नगर को दिनांक 30.01.2026 को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया गया, किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिस कारण से विपक्षीगण का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, और विपक्षीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थिनी व उसका परिवार काफी भयभीत है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के प्रति गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतएव न्यायहित में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किया जाना विधि संगत है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि घटना की गम्भीरता को देखते हुये विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है जिसमें यह उल्लिखित है कि आवेदिका के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस मे सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में जाँच के कम में थाना स्थानीय के **अभिलेखों व रजिस्टर नं0 08 के अवलोकन से किसी अभियोग का पंजीकृत होना नही पाया गया।** महोदय यहां यह भी सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती कुशलावती उम्र करीब 34 वर्ष व विपक्षी रवि कुमार उम्र करीब 22 वर्ष उक्त पते के रहने वाले है। आवेदिका कुशलावती के दो बच्चे हैं जिनमे से एक का नाम कुनाल उम्र करीब 11 वर्ष तथा दूसरे का नाम हार्दिक उम्र करीब 05 वर्ष है। जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि आवेदिका–कुशलावती व विपक्षी रवि कुमार उपरोक्त फेसबुक के माध्यम से आपस मे मोबाइल नम्बर एक्सचेंज होने पर एक ही गाँव के होने के कारण जान पहचान बढ़ने पर पिछले 08–09 महिने से मोबाइल से बात चीत करते थे, जिसमें विपक्षी रवि कुमार उपरोक्त करीब 06–07 महीना बिहार मे रहकर नौकरी कर रहा था, जाँच में उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.02.2026 को दोपहर के समय आवेदिका को उसके पति प्रदीप कुमार द्वारा मोबाइल पर चोरी चुपके बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसको लेकर आवेदिका व उसके पति में विवाद हुआ कि तुम गांव के रहने वाले रवि से फोन पर बात करती रहती हो, हम दोनों लोग साथ नहीं रह सकते। इस पर आवेदिका द्वारा विपक्षी रवि कुमार उपरोक्त के साथ शादी करने व साथ में रहने व बच्चों की देखभाल करने का दबाव बना रही है, जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा कई प्रार्थना पत्र भिन्न भिन्न आरोप लगाकर दिये गये हैं, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वह विपक्षी रवि कुमार उपरोक्त से अटूट प्रेम करती है व उसके साथ रहना चाहती है। जाँच के क्रम में आवेदिका द्वारा बताया गया कि न तो उसने पहले पति से तालाक लिया है और न ही पहले पति से तलाक लेने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है और न ही इस सम्बन्ध में वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है। आवेदिका द्वारा भिन्न भिन्न आरोप लगाकर दिये गये कई प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न आख्या है।

4. मामले में देखा जाये तो जो मामले में इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। थाने की आख्या से यह तथ्य प्रकाश में आना कहा गया है कि आवेदिका–कुशलावती व विपक्षी रवि कुमार फेसबुक के माध्यम से आपस मे मोबाइल नम्बर एक्सचेंज होने पर एक ही गाँव के होने के कारण जान पहचान बढ़ने पर पिछले 08–09 महिने से मोबाइल से बात चीत करते थे। आवेदिका द्वारा यह प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि विपक्षी संख्या 1 उसे बाग मिला और प्रार्थिनी को धमकी देकर उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और वीडियो बनाया। प्रार्थिनी ने दिनांक–21.01.2026 को इसकी शिकायत अपने पति एवं जेठ से किया और उलाहना देने विपक्षीगण के घर गये तब विपक्षीगण ने प्रार्थिनी व उसके पति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी–भद्दी गाली और मारपीट किये और जान से मारने

की धमकी दिये। थाना स्थानीय पर इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले में अब थाने द्वारा जांच कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में इस स्तर पर देखा जाये तो प्रार्थिनी/आवेदिका को ने घटना का सम्पूर्ण विवरण एवं दिनांक व स्थान आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी/आवेदिका को घटना की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसके संबंध में आवेदिका स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके घटना को साबित कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **जोसेफ माथुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी 2001(सप्ली0)ए. सी.सी. पेज–957** तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय राम **बाबू गुप्ता–बनाम–स्टेट आफ यू0पी0 2001(2) जे.आई.सी. पेज–231 (फुल बेंच)** तथा निर्णय **क्रिमिनल मिसलेनियस अपील सं0–9297/2007, सुखवासी–बनाम–स्टेट निर्णय दिनांकित 18.09.07** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि यदि न्यायालय उचित समझती है तो धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है तथा उस पर प्रसंज्ञान ले सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाय। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। प्रार्थिनी/आवेदिका गवाहान की सूची उक्त दिनांक को प्रस्तुत करें।

दिनांकः–16.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874